केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bengaluru – 560068

केरेबो-63(125)/2016-स्था.II

दिनांक : 11.05.2017

स्पीड पोस्ट द्वारा

सेवा में,

विषय :7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - 01.01.2016 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अधिसूचना संख्या जीएसआर 721(ई) दिनांक 25 जुलाई, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में 01.01.2016 से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों के लिए वेतनमान, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि से संबंधित 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को लागू करना प्रशासनिक मंत्रालय के विचाराधीन है ।

मुझे सूचित करना है कि वस्त्र मंत्रालय ने पत्र सं. 25011/3/2017-रेशम दिनांक 09 मई, 2017 के माध्यम से वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 1/1/2016-ईIII (ए) दिनांक 13 जनवरी, 2017 के अनुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संशोधित वेतन संरचना पर वित्त मंत्रालय का आदेश लागू करने का अनुमोदन दिया है । दिनांक 13 जनवरी, 2017 के उक्त आदेश के अनुसार स्वायत्त निकायों को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की अनुसूची के भाग-क में निहित संशोधित वेतन संरचना का पालन करना अपेक्षित है । मंत्रालय द्वारा संप्रेषित अनुमोदन के अनुसार केरेबो कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान तथा केरेबो कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए अपनाये जाने वाले संशोधित वेतनमान दर्शाने वाली विवरणी एतद्द्वारा अनुबंध-1 में इसके साथ संलग्न है (केरेबो वेबसाइट से डाउनलोड किया जाए) ।

3. इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित पर तुरंत कार्रवाई की जाए :

(क) आपके नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों से विकल्प फार्म में विकल्प प्राप्त किया जाए । इस पत्र को जारी करने की तारीख से 3 माह के अन्दर

कर्मचारियों द्वारा विकल्प दिया जाना है । कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि विकल्प मांगने संबंधी परिपत्र आपके नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को पहुंचे और पावती प्राप्त कर इसे रिकार्ड में रखा जाए ताकि परिपत्र/विकल्प फार्म न प्राप्त करने के कारण वेतन विसंगति संबंधी अभ्यावेदनों से बचा जा सके ।

(ख) संस्थानों/केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों के मामले में जिनकी सेवा पुस्तिका का रखरखाव केन्द्रीय कार्यालय में किया जाता है, उनके वेतन का निर्धारण संस्थान/केन्द्र में उपलब्ध विवरण के आधार पर किया जाए और वेतन निर्धारण विवरणी सेवापंजी में प्रविष्टि के लिए केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए । उनके मामले में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प की प्रति भी सेवापंजी में रखने हेतु केन्द्रीय कार्यालय को भेजी जाए ।

(ग) आपके नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों से संबंधित वेतन निर्धारण की समेकित विवरणी इस कार्यालय के अभिलेखार्थ भेजी जाए (नाम, पदनाम, वर्तमान वेतनमान में 01.01.2016 को यथाविद्यमान मूल वेतन, वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर का उल्लेख करते हुए 01.01.2016 को निर्धारित वेतन) ।

4. कृपया यह नोट किया जाए कि सांविधिक/स्वायत्त निकायों को संशोधित वेतनमान प्रदान करते समय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2016-ई.III (ए) दिनांक 13 जनवरी, 2017 द्वारा स्प्ष्ट किया है कि केन्द्रीय सरकार ने 7वें वेतन आयोग के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न भत्तों के संबंध में अब तक केन्द्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, अत: अगले आदेश तक स्वायत्त संगठनों में विद्यमान भत्ते विद्यमान शर्तों एव निबंधन के अनुसार संशोधित वेतनमान अपनाने के बावजूद स्वीकार्य होना जारी रहेगा ।

5. निम्नलिखित आदेशों की प्रतियां वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार (http;//www.finmin.nic.in/) तथा कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार (http;/www.persmin.nic.in/) की वेबसाइट में उपलब्ध है जिनका संदर्भ लिया जाए/डाउनलोड कर उपयोग किया जाए ।

(i) वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं. जीएसआर 721 (ई) तथा संकल्प सं. 1-2-2016-आईसी दिनांक 25 जुलाई, 2016 ।

(ii) वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं. 1-5/2016-आईसी दिनांक 29 जुलाई, 2016 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 1-5/2016-आईसी दिनांक 01 अगस्त, 2016 जो वेतन निर्धारण तथा बकाया के भुगतान से संबंधित है जिसमें सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के अधीन वेतन निर्धारण विवरणी शामिल है ।

(iii) वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं. 1/2/2016-ई-II (बी) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की मंजूरी से संबंधित है-01.07.2016 से लागू दर ।

(iv) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2016-ई-III (ए) दिनांक 13 जनवरी, 2017 जो सांविधिक/स्वायत्त निकाय को संशोधित वेतनमान प्रदान करने से संबंधित है ।

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय

एस. आर. वेंकटनारायण

(एस. आर. वेंकटनारायण)
उप निदेशक (प्र व ले)

संलग्न : यथोपरि ।